न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 64 / 2019

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अ.

प्रार्थी – 1. ठाकरा पुत्र रतना 2. देरामा पुत्र रतना जाति विश्नोई
निवासी बांधनिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण – 1. जगराम पुत्र मालाराम 2. पुरखाराम पुत्र मालाराम
3. खेतू पत्नी मालाराम जातियान विश्नोई निवासी बांधनिया
4. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. धोरीमन्ना।
5. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. सेड़वा
6. शाखा प्रबंधक बीसीसीबी धोरीमन्ना।
7. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

अधिवक्तागण – प्रार्थी वकील – श्री मोहनलाल खिलेरी

विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के वकील – श्री बाबुलाल विश्नोई

निर्णय

दिनांक :– 17/10/22

प्रार्थीगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 के तहत अदालत हाजा में प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें वर्णित तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण का ये प्रथम दृष्टया वाद है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी का मौजा समावली पटवार क्षेत्र चिचड़ासर तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 354 / 244 रकबा 08.11 बीघा किस्म बारानी दोयम व मौजा बांधनिया पटवार हल्का गंगासरा तहसील सेड़वा के खसरा संख्या 497 रकबा 202.07 बीघा किस्म बारानी दोयम खसरा संख्या 417 रकबा 0.18 बीघा बा. अव्वल, खसरा संख्या 419 रकबा 03.14 बीघा खसरा संख्या 463 रकबा 0.10 बीघा गै.मु. खसरा संख्या 464 रकबा 99.16 बीघा खसरा संख्या 470 रकबा 05.03 बीघा खसरा संख्या 480 रकवा 21.05 बीघा, खसरा संख्या 494 रकबा 01.10 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 653 / 471 रकबा 02.14 बीघा किस्म बारानी अव्वल के आये हुए है। मौजा समावली पटवार क्षेत्र चिचड़ासर तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 354 / 244 रकबा 08.11 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1 / 2 हिस्सा, विप्रार्थी संख्या 1 से 3

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा मौजा बांधनिया पटवार हल्का गंगासरा तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 497 रकबा 202.07 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 2023/4047 हिस्सा शेष हिस्सा विप्रार्थी संख्या 1 से 3 का व मौजा बांधनियां पटवार हल्का गंगासरा तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 417 रकबा 0.18 बीघा बा.अव्वल, खसरा संख्या 419 रकबा 03.14 बीघा, खसरा संख्या 463 रकबा 0.10 बीघा गै.मु. खसरा संख्या 464 रकबा 99.16 बीघा, खसरा संख्या 470 रकबा 05.03 बीघा खसरा संख्या 480 रकबा 21.05 बीघा, खसरा संख्या 494 रकबा 01.10 बीघा किस्म बा.सो. खसरा संख्या 653/471 रकबा 02. 14 बीघा किस्म बा.अव्वल भूमि में प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा व विप्रार्थी संख्या 1 से 3 का 1/2 हिस्सा खातेदारी में बनता है और इसी हिस्से माफिक प्रार्थीगण का अपनी भूमि पर कब्जा काश्त है किंतु राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का हिस्सा खातेदारी में होना घोषित करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण का वादग्रस्त भूमि पर ऊपर वर्णित हिस्सानुसार कब्जा काश्त है तथा प्रार्थीगण की रहवासी ढाणियां, चाराबाड़ें, पशुबाड़े, टांके, कलारे आदि बनी हुई है इसलिए वाद घोषणा प्रार्थीगण अपने हिस्से एवं कब्जा काश्त अनुसर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड अलग करवाने के अधिकारी है। इसलिए प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है कि विप्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि से प्रार्थीगण को जबरन बेदखल नहीं करे, व उक्त भूमि का बेचान या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरण करें तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

उभयपक्षकारान वकील उप0। विप्रार्थीगण वकील ने जवाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र का जवाब विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर से निम्नानुसार है– प्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त से हटकर विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के कब्जे काश्त में दखल दे रहे हैं प्रार्थीगण ने अस्थायी निषेधाज्ञा की आड़ में संयुक्त खातेदारी की भूमि में से विप्रार्थी संख्या 1 से 3 को अपनी जोत में कब्जे काश्त की जमीन तक व उसमें बने हुए घर तक जाने का दशकों पुराना रास्ता रोक दिया है जिससे विप्रार्थीगण को अपने घर तक जाने व कोई साधन ले जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है इस कारण से प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का मामला नही वनता है विप्रार्थीगण का आने जाने का रास्ता बंद है। अतः प्रार्थीगण ने वादग्रस्त खसरान् मौजा समावली पटवार क्षेत्र चिचड़ासर तहसील सेड़वा के खसरा संख्या 354/244 रकबा 08. 11 बीघा किस्म बारानी दोयम खसरा संख्या 497 रकबा 202.07 बीघा किस्म बारानी सोयम खसरा संख्या 417 रकबा 0.18 बीघा किस्म बारानी अव्वल खसरा संख्या 419 रकबा 03.14

सहायक कलक्टर सेड़वा

सहायक कलक्टर (SDO) सेड़वा

बीघा खसरा संख्या 463 रकबा 0.10 बीघा गै.मु. खसरा संख्या 464 रकबा 99.16 बीघा खसरा संख्या 470 रकबा 05.03 बीघा खसरा संख्या 480 रकबा 21.05 बीघा, खसरा संख्या 494 रकबा 01.10 बीघा किस्म बारानी सोयम, खसरा संख्या 653/471 रकबा 02.14 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि के संबंध में तथ्यों को छुपाकर विप्रार्थीगण के अपने कब्जे काश्त से बेदखल करने व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 को अपनी जोत व घर तक जाने के लिए दशकों पुराने रास्ते को रोकने की नियत से एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा ले रखी है जिसे मय खर्चा खारीज फरमाया जावें। पत्रावली वास्ते विप्रार्थी वकील द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् बेचान रजिस्ट्री की अनुमति देने हेतु पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान में जगराम पुत्र मालाराम जाति विश्नोई निवासी बांधनिया तहसील सेड़वा का यह है कि उपरोक्त अनवान प्रकरण श्रीमान जी द्वारा एक अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित करके रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश पारित कर रखा है। वादग्रस्त खसरान में हम भाईयों की जमीन कम ज्यादा होने से आपस में रजिस्ट्री बेचान करना चाहते है। अन्य किसी व्यक्ति को बेचान नहीं कर रहे है। हमने रजिस्ट्री लिखवा ली है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत निवेदन है कि उपरोक्त अनवान प्रकरण में वादग्रस्त खसरान में आपस में भाईयों की रजिस्ट्री बेचान करने की अनुमति प्रदान की जावें। उक्त संबंध में प्रार्थी वकील प्रार्थना पत्र का जवाब पेश न करके सीधे ही बहस सुनने का निवेदन किया। प्रार्थी वकील ने बहस में कथन किया उक्त वादग्रस्त आराजी खसरान में विप्रार्थी को बेचान रजिस्ट्री की अनुमति दी जाती है। तो रेकर्ड की स्थिति में परिवर्तन होगा। जिससे यह प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में भी प्रार्थीगण को कभी नहीं की जा सकेगी। अतः विप्रार्थीगण वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारीज फरमाया जावें। तथा पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार विप्रार्थीगण को बेचान रजिस्ट्री करने की अनुमति दी जाती है। तो रेकर्ड में परिवर्तन होगा। अतः विप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा लिया गया स्थगन न्यायसंगत है। तथा मूलवाद के निस्तारण नहीं होने तक उक्त आराजी खसरों में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति तावाद फैसल होने तक स्थगन कन्फर्म किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मूलवाद के संलग्न हो।

सहायक कलक्टर

(रामजी भाई कलसी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेडवा